



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU -560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 1682 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval Number: 1682

विषय / Sub: सिंगल सीटर लाइफ रैफ्ट हेतु इनफ्लेशन इक्विपमेंट (संशोधित),

Inflation Equipment (Modified) For Single Seater Life Raft

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स मेरिडियन इन्फ्लेटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड, 103, मारवाह काम्प्लेक्स, मारवाह इस्टेट, साकीनाका, मुंबई - 400 072 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "सिंगल सीटर लाइफ रैफ्ट हेतु इनफ्लेशन इक्विपमेंट (संशोधित)" को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070 /टीए-1682, दिनांक 05 अक्तूबर 2011, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 1682 जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2016 तक थी।

This is to state that the "Inflation Equipment (Modified) For Single Seater Life Raft" designed, developed and manufactured by M/s Meridian Inflatables Pvt. Ltd., 103, Marwah Complex, Marwah Estate, Sakinaka, Mumbai - 400 072, was issued with Type Approval Number: 1682 vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1682, dated: 5th October 2011, with its validity up to 31st December 2016.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ समूह निदेशक (वायुयान), सेमिलैक, बेंगलूरु - 560 037, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 1st January 2018 based on the satisfactory performance feedback vide reference no.MOK/CAS/AGS/331/6055/CORR, dated 1st Sept 2017 and is valid up to 31st December 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA(Aircraft), CEMILAC, Bengaluru - 560 037, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1682, दिनांक 05 अक्टूबर 2011 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1682, dated: 5th October 2011 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No. : सेमिलैक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1682 /1R

दिनांक / Date : 29 January 2018

फैक्स सं./ Fax No: 080-25230856

FB HR



पी. जयपाल / P. JAYAPAL

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)